

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
परिवाद संख्या 49/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

वनाम

1. श्री मनीष लोंगानी पुत्र श्री जितेन्द्र लोंगानी मैसर्स लोंगानी ट्रेडर्स 3, हमीर कॉलोनी, गगनदीप टॉकीज के पास, किशनगढ़।
2. मैसर्स लोंगानी ट्रेडर्स 3, हमीर कॉलोनी, गगनदीप टॉकीज के पास, किशनगढ़।

.....अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (11) एवं धारा 52 के तहत

उपरिथत :- अप्रार्थी स्वयं।

:- आदेश :-

दिनांक- 05.08.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्ड रामदेव ब्राण्ड नमकीन विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (1) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, विल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुरत पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बावत आवेदन फाईल करने बावत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03.02.2015 को 12.30 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स लोंगानी ट्रेडर्स 3, हमीर कॉलोनी, गगनदीप



dh
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अजमेर

टॉकीज के पास, किशनगढ़ पर पहुँचे श्री मनीष लोंगानी पुत्र श्री जितेन्द्र लोंगानी मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को रामदेव ब्राण्ड नमकीन का विक्रय कर रहे थे। मौके पर लगभग 8-10 रामदेव ब्राण्ड नमकीन के 400-400 ग्राम वजनी पैक पाउच रखे हुए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान रामदेव ब्राण्ड नमकीन में मिलावट का शक होने पर उनमें से नमूना जॉच हेतु 4 पैकेट (400 ग्राम X 4) रामदेव ब्राण्ड नमकीन वास्ते नमूना जॉच हेतु 200/- रूपयें श्री मनीष लोंगानी को नगद देकर गवाह श्री हरीष चन्द्र वार्डबॉय तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष कय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री मनीष लोंगानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा रामदेव ब्राण्ड नमकीन के प्रत्येक पैकेट को अलग-अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डीओ अजमेर के हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलिफ चिपका कर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए/1222 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जापते में लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/416 दिनांक 20.01.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/982/एक्ट /2015/982 दिनांक 23.12.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया रामदेव ब्राण्ड नमकीन मिसबाण्ड होना पाई गई। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 17.05.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 17.05.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री मनीष लोंगानी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 05.08.2016 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 05.08.2016 को अप्रार्थी श्री मनीष लोंगानी स्वयं उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थी ने उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन आधारहीन एवं बेबुनियाद है। अप्रार्थी द्वारा रामदेव ब्राण्ड नमकीन का विक्रय किया जाता है। नमकीन की क्वालिटी उत्तम किस्म की है। पैकिंग पर इसमें मिलने वाले सभी घटक तत्वों का उल्लेख किया गया है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ-पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्री मनीष लोंगानी को जुर्माने के दण्ड से




nk
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्री मनीष लोंगानी को रु. 10000/- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 05.08.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.08.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।





(किशोर कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2016/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 2- अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर
- 3- श्री मनीष लोंगानी पुत्र श्री जितेन्द्र लोंगानी मैसर्स लोंगानी ट्रेडर्स 3, हमीर कॉलोनी, गगनदीप टॉकीज के पास, किशनगढ़।


न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर